K = 1+2 = 3 इसका पदानुक्रमीय अनुपात 1: 2: 6: 18: 54 ..... पूरक प्रदेशों का अनुपात 1: 3: 9: 27: 81 .....

(2) परिवहन सिद्धान्त (Transpor Principle) :- क्रिस्टॉलर महोदय का मानना है कि किसी प्रदेश के सेवा केन्द्रों के मध्य जब परिवहन साधनों का प्रभावी विकास हो जाता है तो प्रत्येक केन्द्रीय स्थान का स्वयं के अलावा अन्य तीन सेवा केन्द्रों से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे K का मूल्य = 1 + 3 = 4 हो जाता है। इसका पदानुक्रमीय अनुपात 1: 3: 12: 48: 192 ..... और पूरक प्रदेशों का अनुपात 1: 4: 16: 64: 256..... चित्र 4.4 में परिवहन/यातायात नियम को दर्शाया गया है।

(3) प्रशासनिक सिद्धान्त (Administrative Principle) :- क्रिस्टॉलर महोदय के अनुसार प्रशासनिक सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक केन्द्रीय स्थान का अपने सभी छह सेवा केन्द्रों पर एक प्रशासनिक केन्द्र विकसित हो जाता है। यह प्रशासनिक केन्द्र स्वयं के अतिरिक्त छह अन्य सेवा केन्द्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस प्रकार प्रशासनिक सिद्धान्त के आधार पर K = 1+16 = 7 होता है (चित्र 4.5)।

इसका पदानुमीय अनुपात 1: 6: 42: 294 .....

पूरक प्रदेशों का अनुपात 1: 7: 49: 343 .....

4.5 भारत में केन्द्रीय स्थान (Central Places in India)

भारत में प्रशासन के दृष्टिकोण से अधिवासों की छह स्तरीय पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इस पदानुक्रमिक व्यवस्था का भारत के लोगों के दैनिक जीवन में व्यावहारिक प्रासंगिकता और महत्त्व है। इस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजधानी, राज्य-राजधानी, जिला- मुख्यालय, तहसील नगर, प्रखण्ड विकास केन्द्र और ग्राम-पंचायत केन्द्र (एक ग्राम पंचायत में एक या अधिक राजस्व-गाँव शामिल हो सकते हैं) विद्यमान हैं।

4.6 आलोचना (Criticism)

'केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त' की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई:-

(1) एक समदैशिक (Isotropic) सतह की प्राप्ति मात्र एक आदर्श है, वास्तविक जगत में यह दुलर्भ है।

(2) उपभोक्ता और विक्रेता का व्यवहार सदैव बौद्धिक ही नहीं होता है। बहुत बार मनुष्य का आचरण संतुष्टि पाने का होता है।

(3) केन्द्रीय स्थानों का षट्भुजीय प्रारूप वास्तविक जगत में दुर्लभ है।

(4) यह सिद्धान्त मुख्य रूप से कृषि प्रदेशों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आधुनिक कारकों, जैसे- परिवहन का प्रभाव, संचार, ऑनलाइन खरीदारी, मॉल-शापिंग और मोबाईल सम्पर्क ने उपभोक्ता और विक्रेता के बीच की दूरी को कम कर दिया है। वस्तुत: सम्पूर्ण विश्व सीमित होकर एक गाँव (Global village) के स्तर पर आ गया है।

(5) 'K' का मान वास्तविक जगत के निकट नहीं है।

(6) मॉडल में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि उद्योगों की अवस्थिति भी निरपवाद रूप से अधिवासों की केन्द्रीयता और वस्तुओं की देहरी में परिवर्तन लाती है। यथार्थ जगत् का कोई भी अधिवास तंत्र क्रिस्टॉलर मॉडल की मान्यताओं से साम्य नहीं रखता है।

(7) क्रिस्टॉलर सिद्धान्त का उपयोग विशेष रूप से पदानुक्रमिक ढ़ंग से संरचित केन्द्रीय स्थानों की षट्भुजीय व्यवस्था की खोज के आधार रूप में तथा उपभोक्ता की खरीदारी पसंदों के दूरी-न्यूनीकरण प्रारूपों के लिए किया गया है।

4.7 सारांश (Summary-up)

जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टॉलर (Watter Christaller) ने 1933 ई० में जर्मन भाषा में केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त (Central Place Theory) का प्रतिपादन किया। यह सिद्धान्त उस प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जिससे अधिवास (Settlement) उत्पन्न और विकसित होते हैं।

ऐसा सेवा कार्य जो किसी केन्द्र द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्र को विशुद्ध रूप से प्रदान कराये जाते हैं, उन कार्यों को क्रिस्टॉलर 'केन्द्रीय कार्यों (Central Functions) तथा केन्द्रीय कार्यों को सम्पन्न करनेवाले अधिवासों को 'केन्द्रीय स्थान' (Central Place) की संज्ञा दी।

(अ) क्रिस्टॉलर महोदय का सिद्धान्त (Centralization's Theory)

(ब) पदानुक्रम का सिद्धान्त (Hierarchy's Theory)

केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त में (छह) 6 प्रधान संकल्पना विद्यमान हैं :-

(i) केन्द्रीय स्थान की संकल्पना (Central Place Concept)

(ii) पूरक क्षेत्र की संकल्पना (Complementary Place Concept)

(iii) केन्द्रीय वस्तुओं और सेवाओ की संकल्पना (Central Goods and Services Concept)

(iv) वस्तुओं के परिसर की संकल्पना (Range of Goods)

(v) देहरी की संकल्पना (Threshold Concept)

(vi) केन्द्रीयता की संकल्पना (Nodality/Focal Point Concept)

केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त की मान्यतायें :-

(i) भूदृश्य एक समदैशिक (Isotropic) सतह हो (जहाँ जलवायु और धरातलीय एकरूपता हो)

(ii) संसाधनों के सन्दर्भ में अधिवासों का वितरण समरूप हो।

(iii) जनसंख्या और उनके आय-स्तर का वितरण लगभग समान हो।

(iv) सभी लोग लगभग समान आय-स्तर हों।

(v) क्रेता और विक्रेता (दुकानदार) दोनों बुद्धिमान हो जो अपने लाभ को अधिकक्रम करने का प्रयास करते हैं।

(vi) अधिवासों का सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्णरूप से समरूप केन्द्रीय सथानों द्वारा सेवा प्राप्त करना है। यहाँ पर क्षेत्र का कोई भी हिस्सा दूटने नहीं पाता है और न ही किसी एक क्षेत्र को एक से अधिक केन्द्र सेवा प्रदान करते हैं। यह तभी संभव है जब केन्द्रीय स्थान षट्भुजीय (Hexagonal) व्यवस्था में स्थित हों।

'क' मूल्य ('K value) एक केन्द्रीय स्थान में जितनी बस्तियों की सेवा प्रदान की जाती है, उन बस्तियों की संख्या उस केन्द्रीय स्थान का 'क' मूल्य ('K' value) कहलाती है। क्रिस्टॉलर महोदय ने 'क' मूल्य की गणना निम्न तीन आधार पर की :-

(1) बाजार सिद्धान्त (Market Principle) K = 3.

(2) परिवहन सिद्धान्त (Transport Principle) K = 4

(3) प्रशासनिक सिद्धान्त (Administrative Principle) K = 7

भारत में केन्द्रीय स्थान :-

भारत में प्रशासन के दृष्टिकोण से अधिवासों की छह स्तरीय पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इस पदानुक्रमिक व्यवस्था का भारत के लोगों के दैनिक जीवन में व्यावहारिक प्रासंगिकता और महत्त्व है। इस तरह हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजधानी, राज्य-राजधानी, जिला- मुख्यालय, तहसील नगर, प्रखण्ड विकास केन्द्र और ग्राम- पंचायत केन्द्र विद्यमान है।

'केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई :-

(1) एक समदैशिक (Isotropic) सतह की प्राप्ति वास्तविक जगत में दुर्लभ है।

(2) उपभोक्ता और विक्रेता का व्यवहार हमेशा बौद्धिक ही नहीं होता है। कई बार मनुष्य का आचरण संतुष्टि पाने का होता है।

(3) केन्द्रीय स्थानों का षट्भुजीय प्रारूप वास्तविक जगत् में दुर्लभ है।

(4) यह सिद्धान्त मुख्य रूप से कृषि प्रदेशों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व सीमित होकर एक गाँव (Global Village) के स्तर पर आ गया है।

(5) 'K' का मान वास्तविक जगत के निकट नहीं है।

(6) यर्थाथ जगत का कोई भी अधिवास तंत्र क्रिस्टॉलर मॉडल की मान्यताओं से साम्य नहीं रखता है।

4.8 मॉडल प्रश्न (Model Question)

1. 'केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त' से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तार-पूर्वक समझाइए।
2. क्रिस्टॉलर का 'क' स्थिर पदानुक्रम का क्या अर्थ है?
3. वाल्टर क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
4. क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त पर प्रकाश डालते हुए भारत में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।

4.9 सन्दर्भ पुस्तकें (References Book)

1. Mahesh Chand and Kinay Kumar Puri : Regional Planning in India.)
2. अधिवास भूगोल : डॉ॰ एस॰ डी॰ मौर्य
3. नगरीय भूगोल : डॉ॰ सुरेश चन्द्र बंसल
4. भौगोलिक मॉडल्स : माजिद हुसैन एवं रमेश सिंह

●●●

इकाई-5 **भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप** पाठ-5

(Types and Patterns of Rural Settlements in India)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

5.0 उद्देश्य (Objective)

5.1 परिचय (Introduction)

5.2 भारत में ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक
(Factors affecting Rural Settlement in India)

5.3 भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार
(Types of Rural Settlement in India)

5.3.1 सघन बस्तियाँ (Compact Settlement)

5.3.2 अर्द्ध-सघन अधिवास (Semi-compact Settlement)

5.3.3 अपखंडित अधिवास (Hamletted or Fragmented Settlement)

5.4 प्रकीर्ण अधिवास (Dispersed Settlement)

5.5 सारांश (Summing up)

5.6 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

5.7 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

5.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के विभिन्न प्रदेशों में पायी जाने वाली ग्रामीण अधिवासों के विषय में जानकारी देनी है। इस पाठ को पढ़ने के उपरान्त विद्यार्थी यह जान पाएँगे कि-

- ग्रामीण अधिवास से क्या तात्पर्य है।
- ग्रामीण अधिवासों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है।
- ग्रामीण अधिवास के कौन-कौन-से प्रकार हैं।
- सघन ग्रामीण अधिवास के उद्‌भव के भौगोलिक कारक कौन-कौन से हैं।
- किसी क्षेत्र में एकांकि तथा विरल बस्तियों के उद्‌भव के क्या कारण है, इत्यादि।

5.1 परिचय (Introduction)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ ग्रामीण बस्तियों की प्रधानता है। एक ओर मैदानी भाग में